

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जून 2014—ज्येष्ठ 28, शक 1936

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2014

क्र. एफ-3-28-2014-तेरह.—यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है:

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1475-तेरह-2002, दिनांक 1 मार्च, 2002 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में 8 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन से विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन कर रहा हो, उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, राज्य के स्वामित्व वाले वितरण या व्यापार के अनुज्ञप्तिधारी को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा पर और इस विद्युत् ऊर्जा के कैप्टिव उपभोग पर निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए विद्युत् शुल्क के संदाय से पूर्ण छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

- (1) अनुसूची में यथा उपरिदिशत कालावधि की छूट ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन आरंभ करने की तारीख से शुरू होगी.
- (2) यह छूट ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा किए गए आकजलरी उपभोग पर उपलब्ध नहीं होगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत (2)	विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट की कालावधि (3)
1	सौर, विंड एवं बायोमॉस आधारित उत्पादन स्टेशन	10 वर्ष
2	लघु जल आधारित उत्पादन स्टेशन	5 वर्ष

परन्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे निरसित अधिसूचना क्रमांक एफ-1475-तेरह-2002 दिनांक 1 मार्च, 2002 के अधीन विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट लेता रहेगा।

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. F-3-28-2014-XIII.— WHEREAS, the State Government is of the opinion that in order to encourage the establishment of Generating stations based on non-conventional energy sources in the State, it is necessary and expedient to do so in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012) and in supersession of this Department's notification number F-1475-XIII-2002, dated 1st March, 2002, which was published in Madhya Pradesh Gazette, dated 8th March, 2002, the State Government, hereby, wholly exempts any person producing electrical energy from generating station based on non-conventional sources of energy, as specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of electricity duty on electrical energy sold or supplied to the State owned Distribution or Trading Licensee and on consumption of this electrical energy for captive use for a period as specified in column (3) of the said Schedule, subject to the following conditions, namely:—

- (1) Period of exemption, as indicated in the Schedule, would start from the date of commencement of generation of electrical energy by such generating station.
- (2) The exemption shall not be available on auxiliary consumption by such generating station.

SCHEDULE

Sr. No. (1)	Non-conventional source of energy (2)	Period of exemption from payment of electricity duty (3)
1	Solar, Wind and Biomass based generating station	10 Years
2	Small hydro based generating station	5 Years

Provided that, any person getting the benefit of exemption from payment of electricity duty, under the repealed notifications no. F-1475-XIII-2002, dated 1st March, 2002 shall continue to get such exemption till the completion of the period specified in the said notification.

2. This notification shall come in to force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.